

**कार्यपालक अभियंता, का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल धमदाहा, पूर्णियाँ।**

ईमेल: 0आई0डी0 cerwddhamdaha@gmail.com

का0 आ0 सं0.....10...../

दिनांक 13/05/2020

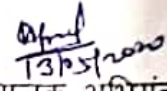
कार्यालय आदेश,

ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजनान्तर्गत दो पथों (I) Paswan Tola Maldiha to Maldiha PMGSY Road (0.25 KM) (II) Ramsewak Mushari Tola to L022 (0.160.KM) का कार्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 423 दिनांक 05/05/2020 द्वारा विभागीय कार्य करने हेतु ओदश प्राप्त है।

अतः कुमार गौरव, कनीय अभियंता बड़हरा कोठी को ओदश दिया जाता है कि उक्त दोनों पथों के कार्यों का गुणवत्तापूर्ण पूर्ण करें।

दिनांक 31.06.2020 तक

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

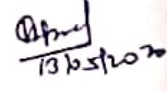

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल धमदाहा, पूर्णियाँ।

ज्ञांपाक 691.....धमदाहा/ दिनांक 13/05/2020

प्रतिलिपि :- सहायक अभियंता बड़हरा कोठी को कार्य कराने हेतु कनीय अभियंता को सहयोग करें।

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी बिहार, पटना STATE MIS को विभागीय एकरारनामा MIS पर करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल धमदाहा, पूर्णियाँ।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-
प्रेषक,

मु03ओ-4(मु0) GTSNY-35-4/2019- 423

पटना, दिनांक- 5/5/2020

विनय कुमार,
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग

विषय-
महाशय,

GTSNY अंतर्गत शेष बची सभी योजनाओं को पूर्ण करने के संबंध में।

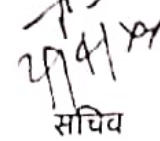
आप सभी भली-भांति अवगत हैं कि ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना (GTSNY) अंतर्गत सभी योजनाओं को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता एवं मानसून के पूर्व सम्पर्कता की अनिवार्यता के आलोक में जून, 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इसी क्रम में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

(i) शेष बची वैसी योजनाएँ जिनका एकरारनामा संपादित हो चुका है, परंतु 01.05.2020 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने की स्थिति में, उनका एकरारनामा विखंडित करते हुए उन्हें विभागीय स्तर पर पूर्ण कराया जाय।

(ii) अभी तक जिन योजनाओं का एकरारनामा संपादित नहीं हुआ है, उन्हें विभागीय स्तर पर पूर्ण कराया जाय।

उपर्युक्त दोनों ही स्थितियों में विभागीय स्तर से कार्य कराये जाने हेतु अलग से प्रस्ताव देने की तथा विभागीय अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में मानसून के पूर्व सम्पर्कता की अनिवार्यता के आलोक में जून, 2020 तक सभी कार्य अनिवार्यतः पूर्ण किये जाएँगे। यदि जून, 2020 तक कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, तो कार्यपालक अभियंता को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की बाध्यता होगी।

विश्वासभाजन


सचिव

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक- मु0अ0-4(मु0) GTSNY-35-4/2019- 423 पटना, दिनांक- 05.5.2020
प्रतिलिपि- सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/5/20
सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4(मु0) GTSNY-35-4/2019- 423 पटना, दिनांक- 5.5.2020
प्रतिलिपि- मु०अ०-1,2 एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

25/5/20
सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4(मु0) GTSNY-35-4/2019- 423 पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि- IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

25/5/20
सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4(मु0) GTSNY-35-4/2019- 423 पटना, दिनांक- 5.5.2020
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को माननीय मंत्री महोदय के
अवलोकनार्थ प्रेषित।

25/5/20
सचिव